

बिहार शहरी आयोजना तथा विकास (संशोधन) अधिनियम, 2022

चर्चा में क्यों?

28 मार्च, 2022 को उपमुख्यमंत्री तारकशोर प्रसाद ने विधानसभा में बिहार शहरी आयोजना तथा विकास (संशोधन) अधिनियम, 2022 पेश किया, जिससे ध्वनित से पारित कर दिया गया।

प्रमुख बिंदु

- अधिनियम के तहत मास्टर प्लान की जरूरतों के मुताबिक सरकारी प्राधिकार की ओर से होने वाले ज़मीन अधिग्रहण में भू-स्वामियों की सहमति की बाध्यता समाप्त कर दी गई है।
- इससे पहले शहरी विकास के लिये अधिग्रहण के समय 80 प्रतिशत ज़मीन मालिकों की सहमति या कुल भू-भाग के 80 प्रतिशत हिस्से के ज़मीन के मालिकों की सहमति की बाध्यता थी।
- इस अधिनियम के तहत राज्य सरकार अब शहरीकरण के लिये किसी स्थान पर जरूरत के मुताबिक भूमिका अधिग्रहण कर सकती है। इसके एवज में संबंधित ज़मीन वाले व्यक्तियों को मुआवज़ा दिया जाएगा।
- इसके साथ ही विधानसभा में चार अन्य राजकीय अधिनियम भी पारित किये गए।
- बिहार कराधान अधिनियम (समय-सीमा प्रावधानों का शिथिलीकरण) अधिनियम, 2022 में राज्य में छोटे करदाताओं के लिये रटर्न दायर करने में छूट दी गई है। अब वे तमिाही की बजाय वार्षिक रटर्न दायर कर सकते हैं। डेढ़ करोड़ रुपए सालाना टर्नओवर
- वाले व्यापारियों के लिये कंपोजिट स्कीम शुरू की गई है।
- बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2022 के तहत आयोग के अध्यक्ष के लिये अधिकतम उमरसीमा 75 वर्ष और सदस्यों के लिये 70 वर्ष तय की गई है। पहले अध्यक्ष के लिये 72 वर्ष और सदस्य के लिये 65 वर्ष उमरसीमा तय थी।
- कृषि विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति में अब राज्य सरकार की सहमति अनिवार्य होगी। सर्च पैनल तीन सबसे उपयुक्त लोगों के नामों का सुझाव राज्य सरकार को देगा। इसके बाद राज्यपाल की सहमति लेकर कुलपति का चयन किया जाएगा।